

डिक्री व मुकदमें हबादाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी
पीठासीन अधिकारी :- मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर:- 128/2018

मनूविराज गोदारा पुत्र सुशील कुमार गोदारा जाति जाट निवासी टिब्बी
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
वादी

:-बनाम:-

- (1) सुशीला पुत्री मुखराम पत्नी जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी मांडला
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
- (2) सुशील कुमार गोदारा पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- (3) जया गोदारा पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मीनू वर्मा आर0ए0एस सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी
टिब्बी के समक्ष श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की हाजिरी में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वादी का वाद डिक्री किया
जाकर घोषणा की जाती है कि वादी को चक न0 4 आर के जमांबदी सम्वत 2075
से 78 खाता स0 67/66 में दर्ज 6.0720 हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त खाता से सुशीला
पुत्री मुखराम का नाम कलमजन किया जाता है उक्त आराजी पर बैंक श्रण की
स्थिती में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....
.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालानां आज की
तारीख वसुलयाबी तक.....अदा करे।

डिक्री आज दिनांक 16-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं
कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी
टिब्बी